न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1070 / 2026

सोनू कुमार.....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1183 / 2026

ललन राय वगैरह.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

महुआ थाना कांड सं0–1047 / 2025

अधीन धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 132, 121(2), 262, 263, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–8(सी), 22(बी), 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट।

Web Copy not Official

04.06.2026 महुआ थाना कांड सं0–1047 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 132, 121(2), 262, 263, 352 एवं धारा–8(सी), 22(बी), 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1070 / 2026 के आवेदक **सोनू कुमार उम्र–25 वर्ष पेसर–छोटलाल राय** साकिन–चकमजाहिद, थाना–महुआ, जिला–वैशाली एवं अग्रिम जमानत आवेदक सं0–1183 / 2026 के आवेदकगण **ललन राय उम्र–25 वर्ष पेसर–रूदल राय, अभिषेक कुमार उम्र–26 वर्ष पेसर–रूदल राय** दोनों साकिन–भदवास, थाना–महुआ, जिला–वैशाली **एवं सत्यम कुमार उम्र–24 वर्ष पेसर–राज बहादुर राय** साकिन–मिर्जानगर, थाना–महुआ, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदनों पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता **श्री राजेश्वर सिंह एवं श्री मनीष उपाध्याय** तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक **श्री सुमित कुमार** को सुना।

जमानत आवेदनों की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–26.10.2025 को समय–18.50 बजे थाना पर सूचक सरकारी कार्य का निष्पादन कर रहा था। उसी समय उसे गुप्त सूचना मिला कि अभिषेक कुमार, ललन राय एवं सत्यम कुमार अपने तीन–चार अज्ञात साथी के साथ ग्राम भदवास स्थित अपने अर्धनिर्मित मकान में मादक पदार्थ की बड़ी खेप लिये हुए है एवं उसे अपने साथियों में खरीद–बिक्री कर रहे है। प्राप्त सूचना से अपने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समय करीब 19.26 बजे सूचक सशस्त्र बल के साथ समय करीब 19.56 बजे भदवास स्थित अभिषेक कुमार के अर्धनिर्मित घर के पास पहुँचा तो पुलिस बल को देखते ही उक्त सभी लोग अर्धनिर्मित घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर बागवानी की ओर भागा जिसे साथ के सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ा गया जिसमें एक व्यक्ति को पकड लिया गया तथा अन्य सभी अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गये। पकड़ाये हुए व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1070 / 2026

सोनू कुमार.....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1183 / 2026

ललन राय वगैरह.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार

04.06.2026 वह अपना नाम अभिषेक कुमार पिता रूदल राय सा० भदवास थाना महुआ जिला वैशाली बताया। तथा भागे हुए व्यक्तियों में से अपने एक भाई ललन राय तथा दूसरा सत्यम कुमार पिता राजबहादुर राय सा० मिर्जानगर थाना महुआ जिला वैशाली बताया तथा भागने का कारण एवं अन्य और व्यक्ति के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि ये दोनों भाई कोटा / मादक पदार्थ का चोरी छिपे बिक्री करते है। वहीं मादक पदार्थ खरीदने के लिए तीन चार ग्रहक आये हुए थे। जिसका नाम नहीं जानते है। जो पुलिस को देखकर भाग गये। इतने ही में चार–पाँच व्यक्ति आ गये और पुलिस बल से हाथापाई करते हुए पकड़ाये हुए व्यक्ति अभिषेक कुमार को पुलिस अभिरक्षा से छुराकर सभी भाग गये। तत्पश्चात भागे हुए व्यक्ति के बताये अनुसार मादक पदार्थ की बरामदी हेतु उसकी घर की दण्डाधिकारी के समक्ष तलाशी लिया जाना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी, महुआ को दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करने हेतु अनुरोध किया तो अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा दण्डाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी, महुआ को घटनास्थल पर भेजा गया। अंचलाधिकारी, महुआ को घटनास्थल पर पहुँचने के पश्चात् पुलिस अभिरक्षा से भागे हुए व्यक्ति की घर की तलाशी लेने हेतु वहां पर उपस्थित कुछ ग्रामीणों में से दो व्यक्तियों को स्वतंत्र साक्षी बनने को अनुरोध किया गया तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट–कचहरी का हवाला देते हुए साक्षी बनने से इंकार कर गये तो साथ आये सशस्त्र बल के सिपाही को स्वतंत्र साक्षी बनाते हुए एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–50 के अंतर्गत नोटिस तैयार कर भागे हुए व्यक्ति के घर पर विधिवत दण्डाधिकारी के समक्ष चिपकाते हुए उपरोक्त दोनों स्वतंत्र साक्षी को अपना तलाशी दिया। तलाशी के पश्चात् उसके पास सरकारी आवंटिक हथियार के सिवा कुछ नहीं मिला। उसके बाद भागे हुए व्यक्ति के घर की उपरोक्त दोनों साक्षी एवं दण्डाधिकारी के समक्ष तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में अभिषेक कुमार के अर्धनिर्मित मकान के सीढ़ी के सामने वाला कमरा में फर्स पर रखा हुआ एक काले रंग के पॉलीथीन में कैप्सूलनूमा प्लास्टिक के छोटे–छोटे जार जिसकी गिनती करने पर 301 जार सभी में मादक जैसा पदार्थ (कोटा) बरामद हुआ। अभिषेक कुमार के घर के दरवाजे पर लाल रंग के मोटरसाईकिल रजि० नं०–बी0आर0 31 ए0एक्स0 2856 के हेड लाईट के बाईजर में काले रंग के पॉलीथीन में कैप्सूलनूमा प्लास्टिक के छोटे–छोटे जार में 90 जार मादक जैसा पदार्थ बरामद हुआ। जिसे गाँव से इलेक्ट्रॉनिक तराजू का व्यवस्था कर वजन किया तो अभिषेक कुमार के सीढ़ी के सामने वाले कमरा से बरामद 301 जार मादक पदार्थ का वजन 108 ग्राम जार सहित एवं मोटरसाईकिल रजि० नं०–बी0आर0 31 ए0एक्स0 2856 के हेड लाईट के बाईजर से बरामद मादक जैसा पदार्थ का

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1070 / 2026

सोनू कुमार.....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1183 / 2026

ललन राय वगैरह.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार

04.06.2026

वजन 32 ग्राम जार सहित पाया गया। बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 140 ग्राम पाया गया। बरामद मादक जैसा पदार्थ को विधिवत जप्ती सूची तैयार कर उसे विधिवत जप्त किया गया एवं जप्त मादक जैसा पदार्थ एवं मोटरसाईकिल रजि० नं०–बी0आर0 31 ए0एक्स0 2856 को लेकर थाना वापस आया ।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढंन्त है। आवेदकगण ललन राय, अभिषेक कुमार एवं सत्यम कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक सोनू कुमार के विरूद्व महुआ थाना कांड सं0–217 / 2025 अंतर्गत धारा–413, 414 भारतीय दण्ड संहिता एवं महुआ थाना कांड सं0–198 / 18 अंतर्गत धारा–147, 146, 149, 353, 186, 307, 295(ए), 298, 153, 153(ए), 504, 506 / 34 भारतीय दण्ड संहिता लंबित है जिसमें वह जमानत पर है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक सोनू कुमार का आवेदक अभिषेक कुमार से कोई संबंध नहीं है, सिवाए इसके कि कथित मोटरसाईकिल के मालिक ओवदक सोनू कुमार है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व एन0डी0पी0एस0 एक्ट का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदनों का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी तथा उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक ललन राय, अभिषेक कुमार एवं सत्यम कुमार प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है और आवेदक सोनू कुमार घटनास्थल से बरामद मोटरसाईकिल रजि० नं०–बी0आर0 31 ए0एक्स0 2856 के स्वामी है जो कांड दैनिकी की कंडिका 124 में अंकित है। प्राथमिकी अनुसार घटनास्थल पर अभिषेक कुमार (आवेदक) को मौके पर पकड़ा गया परन्तु अपने साथियों द्वारा पुलिस से हाथापाई कर पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया गया और अभिषेक कुमार (आवेदक) के अर्धनिर्मित मकान के सीढ़ी के सामने वाला कमरा में फर्स पर रखा हुआ एक काले रंग के पॉलीथीन में कैप्सूलनूमा प्लास्टिक के छोटे–छोटे 301 जार मादक पदार्थ का वजन 108 ग्राम जार सहित एवं उसके घर के दरवाजे पर लाल रंग के मोटरसाईकिल रजि० नं०–बी0आर0

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1070 / 2026

सोनू कुमार.....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1183 / 2026

ललन राय वगैरह.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार

04.06.2026

31 ए0एक्स0 2856 के हेड लाईट के बाईजर में काले रंग के पॉलीथीन में कैप्सूलनूमा प्लास्टिक के छोटे–छोटे जार में 90 जार मादक जैसा पदार्थ का वजन 32 ग्राम जार सहित कुल 140 ग्राम जार सहित बरामद हुआ है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05 एवं 06 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। प्राथमिकी अनुसार आवेदक के मकान एवं वाहन से कुल 140 ग्राम जार सहित मादक पदार्थ 391 जार में बरामद हुई है। इतनी अधिक संख्या में छोटी–छोटी पैकिंग व्यावसायिक बिक्री का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। आवेदक अभिषेक कुमार पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्त ललन राय (आवेदक), सत्यम कुमार (आवेदक), सोनू कुमार (आवेदक) एवं अभिषेक कुमार (आवेदक) के विरूद्ध अनुसंधान प्रारंभिक स्तर पर है और एफ0एस0एल0 रिपोर्ट एवं सी0डी0आर0 का विश्लेषण अभी लंबित है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की पर्यवेक्षण टिप्पणी, कांड दैनिकी की कंडिका 33 से विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध उक्त कांड धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 132, 121(2), 262, 263, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–8(सी), 22(बी), 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत सत्य पाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है।

अतः मामले के तथ्यों, आवेदकगण पर लगाये गये आरोप की प्रकृति एवं उनके आचरण को देखते हुए उपरोक्त नामित आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसे **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

वैशाली, हाजीपुर।